

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांट:-

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-

सिपाही लोकमन दास पुत्र स्व. कृष्णगोपाल  
अग्रवाल, निवासी म.न. 250/30, छज्जू  
भवन, लक्ष्मीनारायण वाली गली, हाथीभाटा,  
अजमेर 305001

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 23 / 2019

R.C.M.S. No. --2019/00

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21/5/19	<p>अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) पाली द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>588-69 6/5/19</p> <p>29/5/19</p>
29/5/19	<p>यह अपील अपीलांट द्वारा अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) पाली द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) पाली को निर्देशित करावे।</p> <p>अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के जरिए पत्रावली नं. पा. सु. 19/588 डि. 6-5-19 के वांछित सूचना अपी. को उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित लोक सूचना अधिकारी रेस्पोंडेन्ट नं. पा. सु. 19/588 डि. 6-5-19 से सम्बन्धित होने से अपीलांट को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित लोक सूचना अधिकारी रेस्पोंडेन्ट नं. पा. सु. 19/588 डि. 6-5-19 के वांछित सूचना से सम्बन्धित पत्रावली नं. पा. सु. 19/588 डि. 6-5-19 के जरिए अपील को न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।</p> <p>अपीलांट द्वारा सूचना नं. पा. सु. 19/588 डि. 6-5-19 से सम्बन्धित होने से इस न्यायालय के रेस्पोंडेन्ट को अपील न्यायालय में पेश की जा सकती है। अपील के जवाब की प्रतिप्रेषित करते हुए सूचित करें। अपील अपीलांट इसी तलब नामे जारी अपेक्षित नहीं होने से एवं रेस्पोंडेन्ट नं. पा. सु. 19/588 डि. 6-5-19 की जा रही है।</p> <p>पत्रावली नं. पा. सु. 19/588 डि. 6-5-19 के अन्तर्गत अपील को अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) पाली द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) पाली को निर्देशित करावे।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>762 4/6/19</p>